प्रेस विज्ञप्ति
06.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), जयपुर आंचलिक कार्यालय ने 03/04.09.2025 को राजस्थान के भू-माफिया और हिस्ट्रीशीटर ज्ञान चंद अग्रवाल और उनके सहयोगियों से जुड़े जयपुर स्थित विभिन्न परिसरों में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत उनके द्वारा बड़े पैमाने पर किए जा रहे भूमि धोखाधड़ी मामलों के संबंध में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने राजस्थान पुलिस द्वारा जयपुर, राजस्थान निवासी ज्ञानचंद अग्रवाल के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की। अग्रवाल ज़मीन हड़पने और कई लोगों व कंपनियों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी से जुड़े कई बड़े धोखाधड़ी के मामलों में शामिल रहे हैं। उनकी अनियंत्रित और व्यापक अवैध गतिविधियों के कारण, उनके खिलाफ केवल जयपुर में ही 300 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, और राज्य भर में कई अन्य एफआईआर भी दर्ज हैं। इसके अलावा, अवैध और आपराधिक गतिविधियों के उनके लंबे इतिहास के कारण, उन्हें राजस्थान पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर भी घोषित किया गया था। इसके अलावा, उसके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज तैयार करके और झूठे आश्वासन देकर निवेशकों को ठग रहा था। इसके अलावा, माननीय न्यायालयों द्वारा उसके खिलाफ कई गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं, जो अभी भी लागू हैं। पुलिस एफआईआर के अनुसार, यह पता चला है कि आरोपी ने विभिन्न निवेशकों से 150 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की है। इसके अलावा, ज्ञान चंद अग्रवाल और उसके साथियों द्वारा की गई धोखाधड़ी की वास्तविक सीमा का पता लगाने के लिए सबूतों की जाँच की जा रही है।

ज्ञानचंद अग्रवाल ज़मीन के टुकड़ों को इकट्ठा करके ज़मीन बेचने के नाम पर संभावित निवेशकों और कॉर्पोरेट्स से पैसे ऐंठता था। हालाँकि, वह या तो ज़मीन हस्तांतरित करने से इनकार कर देता था या फिर जाली दस्तावेज़ों और धोखाधड़ी से एक ही ज़मीन के टुकड़े कई खरीदारों को बेच देता था। तलाशी अभियान में ज्ञानचंद और उसके सहयोगियों के परिसरों को सम्मिलित किया गया, जिन्होंने उसके साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी और जालसाजी के ज़रिए अवैध संपत्ति अर्जित करने में उसकी मदद की थी। तलाशी अभियान के दौरान, अवैध और संदिग्ध तरीकों से विदेशी कंपनियों और संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित विभिन्न अपराध-संकेती दस्तावेज़ों के साथ-साथ बेहिसाब नकदी भी बरामद की गई है। दस्तावेज़ बरामद हुए हैं जिनसे पता चलता है कि यह धन फर्जी कंपनियों के ज़रिए विदेश भेजा गया है और खनन समेत विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों में निवेश किया गया है। इसके अलावा, हार्ड डिस्क, मोबाइल फ़ोन और अन्य उपकरणों सहित डिजिटल साक्ष्य ज़ब्त किए गए हैं, जिनसे इन व्यक्तियों द्वारा बड़े पैमाने पर किए गए अवैध और दागी लेन-देन का पता चला है।

ये तलाशी जाँच में एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इससे राजस्थान में सक्रिय एक गहरे ज़मीनी घोटाले के नेटवर्क का पता चलता है जिसके राष्ट्रीय और सीमा पार से वित्तीय संबंध होने की संभावना है।

आगे की जाँच जारी है।